निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक 1930 (श0)

(सं0 पटना 504) पटना, बुधवार, 29 अक्तूबर 2008

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
17 अक्तूबर 2008

सं0 I/एम'– 730/2008–2654–चूंकि विवाह पुरूष एवं नारी के बीच एक प्रकार का करार होता है, और, चूंकि महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पति एवं पत्नी दोनों को विवाह के प्रमाण–पत्र अलग–अलग दिए जाएँ;

अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा–50 में प्रदत्त शक्ति के अधीन बिहार–राज्यपाल, बिहार विशेष विवाह नियमावली, 1955 के नियम–9 को संशोधित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं. –

बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ– (1) यह नियमावली "बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. बिहार विशेष विवाह नियमावली, 1955 का नियम–9 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा–
   "नियम–9– (1) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत चतुर्थ अनुसूची में विहित प्रमाण–पत्र की पुस्तक एवं धारा 16 के अंतर्गत पंचम अनुसूची में विहित अन्य विधियों से संपन्न विवाह के निबंधन प्रमाण–पत्र की पुस्तक एक बंधी हुई जिल्द होगी जिसके पृष्ठ लगातार क्रमांकित होंगे।

   (2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रमाण–पत्र की पुस्तक में एक ही क्रमांक के प्रमाण–पत्र तीन समरूप प्रतियों में होगी।

प्रमाण–पत्र की पहली प्रति वधू/पत्नी को दी जाएगी उसी क्रमांक की दूसरी प्रति वर/पति को दी जाएगी एवं तीसरी प्रति कार्यालय के स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित रखी जाएगी।

(3) प्रमाण–पत्र की प्रत्येक प्रति पर प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या मुद्रित होगी। प्रमाण–पत्र निर्गत करने की तारीख, विशेष विवाह पदाधिकारी द्वारा स्वयं हाथ से लिखा जाएगा अथवा कम्प्यूटर से छाप (प्रिंट) किया जाएगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

17 अक्तूबर 2008

सं० I/एम[1]– 730/2008–2654–उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 17th October 2008

No.- I/M[1]- 730/2008--2654--Whereas marriage is a kind of contract between a man and a women and whereas for the purpose of empowerment of women it is necessary that the marriage certificate should be separately given to both the husband and the wife.

Therefore in exercise of the powers conferred under section 50 of the Special Marriage Act, 1954 the Governor of Bihar makes the following Rules to amend rule-9 of the Bihar Special Marriage Rules, 1955 :

The Bihar Special Marriage (Amendment) Rules, 2008.

1. Short title, extent and commencement-- (1) These rules may be called "Bihar Special Marriage (Amendment) Rules, 2008".
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule 9 of the Bihar Special Marriage Rules, 1955 shall be substituted as follows -

"Rule-9-(1) The book of certificate of marriage as prescribed in the fourth Schedule under section 13 of the Special Marriage Act, 1954 and also as prescribed in the fifth schedule under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 and also the book of certificate of Registration of Marriage celebrated in other forms shall be a bound Register whose pages shall be consecutively be numbered.

(2) The book of certificate of marriages under above sub rule (1), the certificate shall be in three identical copies of the same serial.

The first copy of the certificate shall be given to the bride/wife second copy of the same serial number shall be given to the bride groom/husband and the third copy of the same serial number shall be preserved in the office of the Marriage Registrar as a permanent record.

(3) Serial number of the certificate shall be printed on each copy of the Certificate, the date of issue of the certificate shall be given by the Special Marriage Officer either by his own hands or shall be printed by the Computer."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 504-571+1000-डी०टी०पी०।